v,ijVj dk fn'kkfuns'k

जैविक खेती की एक प्रणाली है जो घुलनशील उर्वरकों, कीटनाशकों के उपयोग विकास नियामकों योगात्मक प्रतिशत तथा अन्य रसायना से परहेज करती है । जैविक कृषक द्वारा जैविक उत्पाद के उत्पादन के लिए फसल चक्रण, पशु खाद और अच्छे पशुपालन की बेहतर पद्धति अपनाई जाती है। प्राकृतिक पौधों और जानवरों की प्रतिरक्षा का उपयोग जब भी संभव हो बीमारी से निपटने के लिए किया जाता है। सीजीसर्ट राष्ट्रीय जैविक उत्पादन कार्यक्रम के लिए राष्ट्रीय मानकों का पालन करता है जैविक उत्पादन, विदेश व्यापार (विकास और विनियमन) अधिनियम के तहत अधिसूचित 1992 (एफटीडीआर) है।

v,ijVjksa dh lHkh Jsf.k;ksa ds fy, tSfod çek.ku ds fy, lkekU; vko';drk,a%

1. एनपीओपी मानकों के अनुसार जैविक नियमों, जैविक योजना की स्थापना और कार्यान्वयन और विनियमों का पालन किया जाना होता है।
2. सीजीसर्ट के साथ अनुबंध पर हस्ताक्षर करें ।
3. वार्षिक ऑन–साइट निरीक्षण की अनुमति प्रदान करें।
4. सभी रिकॉर्ड 5 साल के लिए बनाए रखें।
5. लागू प्रमाणीकरण शुल्क को सीजीसर्ट को जमा करें।
6. वार्षिक योजना में बदलाव से संबंधित किसी भी बदलाव के तुरंत बाद सीजीसर्ट को सूचित करें । ऑपरेशन के भीतर देखा गया कोई भी जोखिम जो जैविक गुणवत्ता को प्रभावित कर सकता है।
7. ऑपरेटर को सालाना संशोधित उत्पादन योजना को सीजीसर्ट को जमा करना होगा।
8- ऑपरेटर को सीजीसर्ट की वार्षिक प्रमाणन शुल्क का भुगतान करना होगा ।

izek.khdj.k ds pj.k%

çek.khdj.k dh lhthlVZ çfØ;k fuEu pj.kksa esa dh tkrh g%

1. **vkonu tek djuk%** ऑपरेटर को वार्षिक योजना, प्रक्षेत्र नक्शा और तीन वर्ष का उत्पादन इतिहास के साथ एक आवेदन जमा करना होगा । प्रक्षेत्र में लगाए गए फसलों और प्रयोग में लिये जाने वाले इनपुट का विवरण देना होगा ।
2. **'kYd dk Hkqxrku vkSj vuqcaèk ij gLrk{kj%** सीजीसर्ट अग्रिम प्रमाणन प्रक्रिया करने के लिए पूर्णता सुनिश्चित करने के लिए आवदेन और सहायक दस्तावेजों की जॉच करता है । अगर संतुष्ट हो, तो ऑपरेटर को लागू शुल्क, साथ ही सीजीसर्ट के साथ अनुबंध पर हस्ताक्षर करना होगा तथा सीजीसर्ट के साथ अनुबंध पर हस्ताक्षर करने वाले आवेदक खुद को प्रतिबद्ध करेंगे ।

vkonu vuqca/k ij gLrk{kj mijkr vkond fuEu grq ck/; gksxk%&

1. संपूर्ण उत्पादन प्रकिया मे जैविक मानक का अनुपालन करेगा ।
2. जैविक उत्पादन प्रक्षेत्र के निरीक्षण (घोषित/अघोषित) के दौरान सहयोग करेगा ।
3. जैविक उत्पादन योजना के संशोधन संबंध तथा निषेधित उर्वरक के उपयोग संबंध मे सूचित करेगा ।

3- fujh{k.k&

1. एनपीओपी मानक प्रक्रियाओं के अनुसार सीजीसर्ट के द्वारा निरीक्षण का पालन किया जाएगा ।
2. इंस्पेक्टर के पास सभी खाते और ऑपरेटरों के अन्य दस्तावेज सहित उत्पादन सुविधाओं तक पहुंच होगी।

4- çek.ku fpà vkj bldh lqj{kk

सीजीसर्ट निरीक्षण रिपोर्ट के आधार पर यह तय करेगी कि ऑपरेशन, एनपीओपी मानकों के अनुरूप है, तथा सीजीसर्ट मानक के अनुपालन के आधार पर प्रमाणीकरण निर्णय तय करेगी अन्यथा प्रमाणीकरण से इनकार कर सकती हैं। केवल प्रमाणीकरण कार्यक्रम के तहत प्रमाणिकृत जैविक उत्पादों के लिए इस लोगो का उपयोग करने के हकदार होंगे । किसी भी दुरुपयोग या ऑपरेटर के खिलाफ प्राप्त मामले में सीजीसर्ट द्वारा जॉच में मानक का उल्लंघन पाया गया तो लाइसेंसधारक सीजीसर्ट के दण्ड के माप के अनुरूप दण्डित किया जावेगा ।

5- tSfod izek.khdj.k dh lrrrk %

जैविक प्रमाणीकरण की सतत्ता हेतु प्रमाणित ऑपरेटर द्वारा प्रत्येक वर्ष हेतु नवीनीकरण फार्म तथा प्रमाणीकरण शुल्क सीजीसर्ट को भुगतान किया जाना होगा तथा नवीनीकरण से संबंधित निम्न जानकारियॉ लागू होगी ।

1. वार्षिक उत्पादन योजना में यदि किसी भी प्रकार का परिवर्तन/संशोधन किया गया है तो इसकी जानकारी सीजीसर्ट को उपलब्ध कराये ।
2. सीजीसर्ट द्वारा पूर्व में जारी की सुधारात्मक कार्यवाही हेतु निर्देश की अघतन स्थिति ।

6- vkWijsVj dks fuEufyf[kr nLrkost dks lhthlVh fujh{kdksa ds fy, rS;kj j[kuk gS

Qly mRiknu ds fy,

- उगाई जा रही फसलों की सूची, प्रक्षेत्र के स्थान (प्रक्षेत्र नक्शा), प्रक्षेत्र का माप, और अनुमानित उपज ।
- पिछले तीन वर्षों के फील्ड इतिहास।

- फार्म डायरी जिसमें फील्ड की समस्त गतिविधियों का दस्तावेज शामिल हो (खेती, खरपतवार नियंत्रण, खाद या उर्वरकों का उपयोग (इनपुट आवेदन रिकॉर्ड), छिड़काव, कटाई, भंडारण नियंत्रण।आदि) फसल पोषक तत्वों, कीट, बीमारी, या खरपतवार के लिए उपयोग किए जाने वाले सभी इनपुट के लिए इनपुट खरीद रिकॉर्ड, मृदा प्रबंधन गतिविधियों, फसल चक्रण और क्षरण रोकथाम गतिविधियों सहित।
- फसल कीटों के नियंत्रण के लिए कीट और रोग प्रबंधन गतिविधियां (कीड़े/पतंग/अकशेरुकी/कशेरुकी), रोग निवारक प्रथाओं, और खरपतवार, सहितः उपयोग किया गया सामान

v,fMV Vªy ;k fcØh ls lacaf/kr nLrkost tks mRiknu dks lkr @mRikfnr {ks= ls vfrem mi;kx rd mRikndks dk irk yxkrs gSA blds fy, fuEufyf[kr dh vko';drk gks ldrh gS %&

- प्रक्षेत्र, रोपण और उत्पादन रिकॉर्ड
- फसल और उपज रिकॉर्ड
- पोस्ट फसल हैंडलिंग रिकॉर्ड
- भंडारण रिकॉर्ड
- परिवहन रिकॉर्ड
- बिक्री के रिकॉर्ड

tSfod ,d:irk@le:irk% प्रदूषण से बचने के उपायों का दस्तावेज़ीकरण और जैसा कि आपके ऑपरेशन पर लागू होता है ।

- पारंपरिक फसलों एवं पड़ोसी भूमि उपयोग के बारे में जानकारी/ सीमाओं से प्रदूषण की रोकथाम
- बफर फसलों के लिए उत्पादन, फसल और बिक्री के रिकॉर्ड ।
- भंडारण किसी भी गैर–अनुमत से अनुमत सामग्रियों उत्पादों का पर्याप्त पृथक्करण, संदूषण रोकथाम।
- लेबर मुद्रित पैकेजिंग, बैग, बक्से और स्टिकर
- यदि लागू हो तो खुदरा और थोक उत्पादों की वृहद संख्या प्रणाली

lapkyu çfØ;k @ gSMÇyx ds fy, çek.khdj.k vko';drk,sa %&

- एक जैविक हैंडलिंग योजना का कार्यान्वयन ।
- प्रसंस्करण के दौरान जैविक उत्पादों की कोई कमी या संदूषण नहीं;
- जीएमओ या विकिरण का कोई उपयोग नहीं ।
- सक्रिय स्वच्छता और सुविधा कीट प्रबंधन विधि ।

- एनपीओपी मानकों के अनुसार अनुमोदित लेबल का उपयोग।
- विनियमन के अनुपालन को सत्यापित करने के लिए रिकॉड्र्स।
- पशुपालन उत्पाद के लिए प्रमाणीकरण आवश्यकताएं ।
- जैविक पशुधन योजना का कार्यान्वयन ।
- सभी पशुओं के लिए अनिवार्य आउटडोर पहुंच ।
- जुगाली करने वाले पशुओं के लिए चरागाह तक पहुंच ।
- कोई एंटीबायोटिक्स, वृद्धि हार्मोन, या जीएमओ का उपयोग वर्जित है ।
- **100%** जैविक चारा और अनुमोदित चारे की मात्रा
- गर्भावस्था के अंतिम तीसरे या हचिंग के बाद दूसरे दिन से जैविक प्रबंधन।
- डेयरी के लिए जैविक प्रबंधन।

vdk"Bh; y?kouki t@oU; mRikn ds fy, çek.khdj.k vko';drk,¡ %&

- वन्य उत्पादों को इकट्ठा करने के लिए उपयोग की जाने वाली विनाशविहीन विदोहन का पालन करना चाहिए।
- प्रमाणीकरण के लिए प्रस्तावित सभी वनोपज संग्रहण वाली प्रजातियों को नक़्शे पर स्पष्ट रूप से पहचाना जाना चाहिए
- वन्य कटाई वाले क्षेत्र की सीमाएं स्पष्ट रूप से परिभाषित होनी चाहिए।
- क्षेत्र की निगरानी या प्रबंधित करने के तरीके के बारे में जानकारी तथा सरकारी निकाय या अन्य पर्यवेक्षी एजेंसियां जो नियंत्रण क्षेत्र आती हैं।
- ऑपरेटर को चालू वर्ष के लिए अनुमानित फसल कार्यक्रम प्रस्तुत करना होगा।
- वन्य फसल संग्रहण के लिए रिकॉर्ड रखने की प्रणाली स्पष्ट होना चाहिए
- सभी प्रमाणित उत्पादों के लिए पूरी तरह से परिरक्षा की श्रृंखला को ट्रैक करना तथा वनोपज संग्रहण के मूल क्षेत्र में उत्पाद विक्रय की जानकारी रखना आवश्क होगा।

e/kqeD[kh ikyu ds fy, çek.khdj.k vko';drk,¡ %&

- चारा क्षेत्र का नक्शा जो छत्तो का स्थान तथा नक्शे में जैविक और वन्य भूमि का स्थान, तथा सभी गैर–अजैविक क्षेत्रो की जानकारी प्रदर्शित करना हो ।
- उपलब्ध जैविक और वन्य चारा की मात्रा का वर्णन करें तथा कॉलोनी के प्रकार या चारा के प्रकार, अनुमानित पुष्प की अवधि की जानकारी ।
- चारे का घनत्व, प्रतिस्पर्धी प्रजाति घनत्व, मधुमक्खी कॉलोनी का घनत्व, कॉलोनी स्वास्थ्य, कॉलोनी क्षमता, स्थलाकृति, और जलवायु की जानकारी उपलब्ध होनी चाहिये ।
- चारा क्षेत्र में उपलब्ध जल स्रोतों का वर्णन करें ।
- सभी स्वच्छ प्राकृतिक जलाशय, भस्मक, सीवेज उपचार सुविधाओं की सूची तथा बिजली संयंत्र, गोल्फ कोर्स, कस्बों या शहरों, जिस भूमि पर निषेधित सामग्री तथा संभावित प्रदूषण के अन्य सभी स्रोत की जानकारी चारा क्षेत्र में स्थित है । हाइव निर्माण सामग्रीः हाइव प्राकृतिक संसाधनों से बने होना चाहिए (जैसे लकड़ी और धातु सहित सामग्री)।

mRiknd lewg çek.ku fn'kkfunsZ'k

उत्पादक समूह "ग्रोवर ग्रुप" में एक समान रूप से फसलोत्पादन में किसान संलग्न होते है । जिनकी भौगोलिक और जलवायु क्षेत्र समान होती है । तथा स्थितियों के तहत आंतरिक नियंत्रण प्रणाली (आईसीएस) द्वारा प्रबंधित, लेखा परीक्षित और निगरानी की जाती है। उत्पादक समूह प्रमाणीकरण प्रसंस्करण और हैंडलिंग गतिविधियों को भी मिलकर कर सकता है । प्रबंधित उत्पादक समूह में केंद्रीकृत भण्डारण/प्रसंस्करण/वितरण और विपणन सुविधाओं को साझा करने की आवश्यकता होनी चाहिए।

mRiknd lewg dks fuEufyf[kr 'krksZa dks iwjk djuk gksxk%

- उत्पादक को एक दूसरे के करीब निकट भौगोलिक निकटता में स्थित होना चाहिए।
- समूहों को एक केंद्रीय प्रशासन के तहत प्रबंधित किया जाना चाहिए जो और संगत और समान है।
- उत्पादक समूहों को एक आंतरिक गुणवत्ता प्रणाली को स्थापित और कार्यान्वित करना चाहिए ।
- आईसीएस (आंतरिक नियंत्रण प्रणाली), पर्यवेक्षण और दस्तावेज़ीकरण के साथ उत्पादन और इनपुट को सुनिश्चित करने के लिए प्रत्येक सदस्य के संचालन में उपयोग किया जाता है जो कि एनपीओपी जैविक मानक के साथ अनुपालन अनुरूप हो ।
- उत्पादक समूहों को केंद्रीकृत प्रसंस्करण, वितरण और विपणन तंत्र का उपयोग करना चाहिए
- उत्पादक समूह के आंतरिक निरीक्षण आंतरिक इंस्पेक्टर द्वारा एक वर्ष में दो बार किए जाएंगे ।
- आंतरिक निरीक्षण के बाद ही नए सदस्यों को समूह में जोड़ा जाएगा ।

- आई.सी.एस., निरीक्षण के पर्याप्त रिकॉर्ड संधारण करेगा ।

vkrfjd fu;=.k ç.kkyh ¼vkÃlh,l½

आईसीएस में निम्नलिखित कर्मी शामिल होंगे :–

- आईसीएस प्रबंधक
- आंतरिक निरीक्षक
- अनुमोदन प्रबंधक / समिति
- फील्ड अधिकारी
- क्रय अधिकारी
- गोदाम प्रबंधक
- प्रसंस्करण प्रबंधक
- एक उत्पादक समूह में नई उत्पादक / किसान जोड़ना
- सीजीसर्ट के प्रत्येक वार्षिक निरीक्षण से पहले नए उत्पादकों को एक स्थापित उत्पादक समूह में जोड़ा जाएगा।
- मुख्य उत्पादक समूह का अर्थ है कि उनकी गतिविधियां, प्रक्रियाएं, फसलों, विधियों, क्षमताओं, प्रशिक्षण, आदि समूह के अनुरूप है।
- आईसीएस प्रबंधक द्वारा आई.सी.एस. की समीक्षा की जायेगी तथा आई.सी.एस. उत्पादक समूह की सूची अधतन् करेगा और एक प्रतिलिपि सीजीसर्ट को देगा ।

vkrfjd fujh{k.k %&

- आंतरिक निरीक्षकों द्वारा उत्पादक समूह के आंतरिक निरीक्षण एक वर्ष में दो बार किए जाएंगे।
- आंतरिक नियंत्रण प्रणाली के अंतर्गत आने वाले समस्त गतिविधियों का आंतरिक मूल्यांकन प्रबंधक द्वारा सम्पन्न किया जावेगा ।

vkrfjd fujh{k.k fjikV dk vko';d rRo fuEufyf[kr g &

1. किसान का नाम, उत्पादन विवरण (कुल क्षेत्र, रूपांतरण के तहत क्षेत्र, जैविक, क्षेत्र आईडी संख्या, फसलों और मात्रा बोए गया रकबा/क्षेत्र)।
2. किसान पहचान संख्या ।
3. निरीक्षण के वर्ष के लिए फसल चक्रण योजना ।

4. चालू वर्ष के लिए उपयोगी भूमि का विवरण (हे.मे) एवं पिछले वर्ष के तुलना में किये गये किसी भी प्रकार के परिवर्तन का विवरण ।
5. वर्तमान वर्ष में फसलों की स्थिति तथा मानक से किसी भी प्रकार का विचलन की जानकारी।
6. खेतों और पड़ोसी के बीच बफर दूरी सहित निकट भूमि का उपयोग तथा खेतो और पडोसी के क्षेत्र में कोई भी अनुप्रयोग जो फसलो का जैविक गुणवत्ता में पड़ने वाले प्रभाव की जानकारी ।
7. जैविक और पारंपरिक खेतों दोनों के उत्पादन में उपयोग किये गये इनपुट का विवरण ।
8. सभी ऑफ–फार्म इनपुट के लिए खरीद रसीद उपलब्ध होनी चाहिए।
9. नषेचन कार्यक्रम और कीट / व्याधि का विवरण शामिल होना चाहिए ।
10. आंतरिक निरीक्षक और किसान के निरीक्षण दिवस पर हस्ताक्षर की तिथि।

mRiknd leg d fy, vko';d nLrkost% आईसीएस कार्यालय में निम्नलिखित दस्तावेज और रिकॉर्ड बनाए रखा जाना चाहिएः –

1. समूह पंजीकरण विवरण।
2. आंतरिक नियंत्रण प्रणाली और इसकी संरचना का विवरण।
3. अपने उत्पादन विवरण के साथ समूह में शामिल किसानों की सूची (कुल क्षेत्र, जैविक, क्षेत्र के तहत क्षेत्र, फसलों की सूची, फसल की विविधता, मात्रा, फ़ील्ड आईडी संख्या के तहत क्षेत्र आदि।)
4. उत्पादन रिकॉर्ड्सः वर्तमान वर्ष के वास्तविक या अनुमानित उत्पादन के लिए उत्पादन रिकॉर्ड फाइल पर होना चाहिए। बिक्री या डिलीवरी रिकॉर्ड्स को इंगित करना चाहिए कि उत्पाद की कितनी मात्रा वितरित किया गया था।
5. फील्ड नक्शा प्रमाणित होने वाले क्षेत्र के स्थान को दिखाते हैं और आसपास के भूमि उपयोग के बारे में जानकारी प्रदान करते हैं। मानचित्र में सभी बफर जोन (पड़ोसी फसल या सिंचाई लाइनों की वास्तविक दूरी सहित) को इंगित करना चाहिए और संभावित प्रदूषण के क्षेत्रों को दर्शित करना चाहिए।
6. प्रक्षेत्र इतिहासः प्रत्येक उत्पादक क्षेत्र के लिए प्रक्रिया इतिहास पिछले तीन वर्षों के लिए फ़ाइल पर होना चाहिए और चालू वर्ष में खेतों पर उपयोग किए जाने वाले सभी इनपुट की जानकारी हो । दोनों खेतों और खेतों के स्रोतों से, फसल चक्रण कार्यक्रम का पालन किया गया और कीट/व्याधि और रोग नियंत्रण उपायों को लिया गया हो ।
7. उत्पादक समझौतेः समूह में शामिल व्यक्तिगत किसान के साथ आईसीएस समझौता आईसीएस कार्यालय में फाइल पर रखा जाना होगा।
8. आईसीएस के आंतरिक प्रशासनिक प्रक्रिया दस्तावेज जिसमें आंतरिक निरीक्षण, निरीक्षण रिपोर्ट, मूल्यांकन रिपोर्ट, उल्लंघन और प्रतिबंध, उत्पादक समूह के सदस्यों को हटाने और अपील की प्रक्रिया शामिल होनी चाहिये ।
9. सभी आईसीएस निरीक्षकों और समूह के सदस्यों के लिए पर्याप्त प्रशिक्षण के साक्ष्य सहित वर्तमान प्रशिक्षण रिकॉर्ड फ़ाइल पर होना चाहिए।

çlLdj.k vkj gMÇyx dk nLrkothdj.k

çlLdj.k çy[ku%

जैविक उत्पादों की प्रसंस्करण में संलग्न उत्पादक समूह को निम्न आवश्यक दस्तावेज रखना अनिवार्य होगा जो निम्न है –

1. *mRikn çkIr djus ;k vkus okys mRikn fjd,MZ l%* ये रिकॉर्ड सभी सूचीबद्ध होगे । प्रसंस्करण / हैंडलिंग सिस्टम में उपयोग होन वाले सभी उत्पादों का लॉट क्रमांक चिन्हित होना चाहिये । ऐसे मामलों में जहां उत्पाद बिना लॉट संख्या के प्राप्त प्रसंस्करण इकाई को प्रदाय कर्ता के उपस्थिति में करें ।
2. *dPps eky ds o;jgkml lph fjd,MZ l%* इसमें निहित यह रिकॉर्ड भंडारण में प्राप्त और बनाए गए सभी कच्चे माल को निर्दिष्ट करता है। सभी सामग्री को मूल प्राप्त करने वाले लॉट नंबर के साथ स्पष्ट रूप से पहचाना जाना चाहिए। गोदाम में प्रबंधक द्वारा भण्डारित उत्पादो की सूची, भण्उारण कक्ष की स्थिति तथा शेष भण्डारण उत्पादों का विवरण रखा जाना होगा ।
3. *mRikn fjd,MZ l%* उत्पादन रिकार्ड में उत्पादन तथा प्रसंस्करण हेतू उपयोग किये गये कच्चे माल के लॉट संख्या को दर्शाना आवश्यक होगा ताकि स्त्रोत का पहचान किया जा सके ।
4. गुणवत्ता प्रबंधन रिकॉर्ड्सः गुणवत्ता प्रबंधन रिकॉर्ड, गुणवत्ता प्रणाली और प्रसंस्करण सुविधा की स्थिति पर नजर रखता है । जिसमें सभी निरीक्षणों की सूची, आंतरिक निरीक्षण, स्वच्छता अभिलेख, रखरखाव लॉग, कीट नियंत्रण लॉग, उत्पाद संदूषण लॉग (प्रदूषण के सभी उदाहरणों को सूचीबद्ध करना, यांत्रिक विफलता या टूटने के कारण, इत्यादि सम्मिलित होगे ।
5. *o;jgkml fjd,MZ l l lcfekr %* इस रिकॉर्ड में तैयार उत्पाद जानकारी, तथा लॉट संख्या, स्थान और उत्पादन के यात्रा का विवरण होना चाहिये ताकि अंतिम उत्पाद को आसानी से पहचाना जा सके ।
6. *f'kÇix ¼ifjogu½ fjd,MZ l%* बाहर भेजे जा रहे सभी उत्पाद का विवरण आवश्यक होगा ।

nLrkothdj.k ,oa j[kj[kko

उत्पादक समूह उत्पादक हैंडलर के रूप में कार्य को बनाए रखने के लिए जिम्मेदार है, सभी जैविक उत्पादों का लेखा परीक्षा हेतू जिम्मेदार होगा। उत्पादक समूह का फसल विवरण, भंडारण, परिवहन और संरचनात्मक कीट नियंत्रण पर मानक अनुरूप अनुपालन करना चाहिए। जिसमें निम्न दस्तावेज में शामिल हैं:–

- उत्पाद पहचान और संधटक, सुविधा मानचित्र में भवन स्थिति ।
- उपकरण, कच्चे माल की भण्डारण ।
- प्रसंस्करण, पैकेजेस तथा विकास को दर्शाना आवश्यक होगा ।

mRiknu izokg pkVZ : उत्पादन प्रवाह चार्ट में कच्चे माल के प्रवेश से लेकर प्रसंस्करण तथा निकास का विवरण दर्शाना अनिवार्य होगा ।

ycy

लेबल को प्रोसेसर, घटक विवरण, संरचना, लॉट नंबर की उचित पहचान के साथ तैयार उत्पाद लेबल (मुद्रित पैकेजिंग, बक्से इत्यादि पर खुदरा और थोक लेबल) संलग्न करना चाहिए।

ckg; fujh{k.k

सीजीसर्ट इंस्पेक्टर उत्पादक समूह के लिए नमूना बाह्य निरीक्षण करेगा। इंस्पेक्टर एनपीओपी मानकों के अनुसार समूह और उत्पादन प्रणाली के भीतर आईसीएस के कार्यान्वयन का निरीक्षण करेगा। जोखिम नियंत्रण के आधार पर बाहरी नियंत्रण का प्रतिशत सीजीसर्ट द्वारा निर्धारित किया जाएगा। बाहरी निरीक्षक आंतरिक निरीक्षण के दस्तावेजों के साथ अपने अवलोकनों की तुलना करता है और आंतरिक नियंत्रण प्रणाली का मूल्यांकन करता है, आंतरिक निरीक्षण एनपीओपी मानकों की आवश्यकताओं का अनुपालन करता है। सीजीसर्ट इंस्पेक्टर की बाहरी निरीक्षण रिपोर्ट के आधार पर, सीजीसर्ट प्रमाण पत्र प्रदान करेगा यदि उत्पादक समूह की उत्पादन प्रणाली एनपीओपी मानकों के अनुरूप है या अन्यथा प्रमाणीकरण से इंकार कर देती है।